

जोधपुर

आर. 2/3/2001

विद्युत वितरण

नेवाम लि०

क्रमांक: जोधपुर डिस्ट्रिक्ट/अनु-पी०पी०एण्डएम०/पत्रा० प्र. 75

दिनांक 12/3/2001

आदेश

विषय:- बढे हुये भार की स्वीच्छक घोषणा ।

पूर्व में मण्डल द्वारा शहत कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं द्वारा बढे हुये लोड की 31.07.2000 तक स्वीच्छक घोषणा करने पर कई रियायतें दी गयी थीं । इससे कृषि उपभोक्ताओं को काफी राहत मिली । अब उपभोक्ताओं द्वारा इस योजना को पुनः चालू करने की मांग की जा रही है ।

अतः इस विषय पर धार कर निर्णय लिया गया कि इस योजना को पुनः चालू कर 30.04.2001 तक यह सुविधा जारी है ।

अतः 30.04.2001 तक यह छूट दी जा रही है कि जो कृषक अपने बढे हुये लोड को श्वय घोषणा करेगा उसे आवदन के साथ मात्र 700/- रूपये प्रति हार्स पावर के द्विस्तव से जमा कराने होंगे । आवक होने पर नई 11 के०वी० लाईन एवं सब-स्टेशन का खर्चा जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड वहन करेगा । इस तिथि के पश्चात् ऐसे सभी मामलों में लोड बढाने पर कृषकों ने सम्पूर्ण लाईन चार्ज तथा 1450/- रूपये प्रति हार्स पावर के द्विस्तव से बढे हुये लोड चार्ज किये जायेंगे तथा विजिलेन्स चैकिंग में अधिक लोड पाये जाने पर बढे हुये लोड को लक्ष्य 1500/- रूपये प्रति हार्स पावर समझौता राशे के अतिरिक्त भिद जायेंगे ।



(ई० बी०के०पुरोहित)

अधीक्षण अभियन्ता (पी०पी०एण्ड एम०)